

2022/2

न्यायालय तहसीलदार रुपनगढ, जिला-अजमेर

प्रकरण संख्या 02/2022

सरकार जरिये पटवारी हल्का निटुटी. बनाम देवकरण, पूनमचन्द, बीरमा पुत्र घीसा जाति जाट निवासी रामनगर

(प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956)

13.1.22

दिनांक 13.01.2022 को पटवारी हल्का निटुटी से रिपोर्ट प्राप्त हुयी। जिसको दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 नोटिस जारी किया जावे तथा पत्रावली दिनांक 21.01.2022 को कैम्प रुपनगढ मे पेश हो।

21.01.22

पत्रावली पेश हुई। अशर्ही उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा। समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 24.01.22 को पेश हो।

24.01.22

पत्रावली पेश हुई। अशर्ही अनुपस्थित। वास्तु उपस्थित पत्रावली दिनांक 27.01.22 को पेश हो।

27.01.22

पत्रावली पेश हुई। अशर्ही उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया जो शर्ही है। प्रस्तुत जवाब की तौर हेतु प. ह. को छिद्रा जाकर पत्रावली दिनांक 03.02.22 को पेश हो।

03.2.22

पत्रावली पेश हुई। अशर्ही अनुपस्थित। प. ह. निटुटी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया कि श. मि. छिद्रा पटवारी द्वारा अपने जवाब में फर्द सीमांकन दिनांक 21-12-21 का जिक्र किया जिसे श. मि. किया गया। फर्द सीमांकन दिनांक 21-12-21 के अवलोकन के स्पष्ट है कि य. न. 304 ^{पृ. 34/304} की रकबा बराबर करने पर मौके पर रकबा कम पड़ता है। उक्त फर्द सीमांकन दिनांक 21-12-21

13/1/22/24905

